



100

I. मिश्र / विदिशा भू-रा / 2017 / 1548

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक- /2017 रिवीजन

मदन अहिरवार पुत्र श्री कोमल अहिरवार,
आयु-30वर्ष, व्यवसाय-शासकीय सर्विस,
निवासी-ग्राम सांकरौद, तहसील कुरवाई
जिला विदिशा (म०प्र०)

-----रिवीजनकर्ता

बनाम

1. अब्दुल वसीम पुत्र श्री अब्दुल सलीम खा,
आयु-30वर्ष, जाति-मुसलमान, निवासी-
कुरवाई जिला विदिशा (म०प्र०)
2. श्रीमती गुड्डीबाई पत्नी श्री कमल सिंह,
जाति-दांगी, आयु-50वर्ष, निवासी- ग्राम
सांकरौद, तहसील कुरवाई जिला विदिशा
(म०प्र०)
3. धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राममंनोहर
सिंह, आयु-40वर्ष, जाति-जाट, निवासी-
कोहफिजा भोपाल (म०प्र०)


-----प्रतिरिवीजनकर्तागण

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय तहसीलदार कुरवाई जिला विदिशा द्वारा प्रकरण
क्रमांक-03/अ-70/15-16 में पारित आदेश दिनांक 22.04.
2017 के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

रिवीजनकर्ता की रिवीजन निम्नानुसार है:-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसील कुरवाई का आदेश
दिनांक 22.04.2017 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबंधो



श्री विनोदवर्मा, कृषि.
द्वारा आज दिनांक
30/5/17 को प्रस्तुत
श्री... को
द्वारा आज दिनांक 30/5/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल मध्य ग्वालियर

Vinod Verma Ad.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1548


स्थान तथा दिनांक


कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

14-6-2017

आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 22-4-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । उक्त आदेश से तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि उनकी ओर से स्वत्व सम्बंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, और यदि वह सीमांकन से असंतुष्ट है, तब सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए । तहसीलदार द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया विधिसंगत है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

4.
15/06/17